POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 14.09.2023

1.थाना बिसरख पुलिस द्वारा, धोखाधड़ी से एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से विभिन्न बैंको के 28 एटीएम व 20,500 रूपये बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 13/14-09-2023 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा, लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र रामलाला प्रसाद को खजूर कट पुराना हैबतपुर से गिरफ्तार किया गया| दिनांक 25.08.2023 को वादी के साथ अभियुक्तों द्वारा, एक्सिंस बैंक एटीएम तिगरी से एटीएम मशीन में कार्ड धोखाधड़ी कर फंसा देना व रूपये की निकासी कर लेना जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 379/427 भादवि व दिनांक 10.9.2023 को तिगरी के पास एक्सिस बैंक के एटीएम से एटीएम बदलकर रूपये की निकासी कर लेना जिसके सम्बन्ध में वादी.की लिखित तहरीर पर अभियुक्त राजेश व उसके अन्य साथियो के द्वारा एटीएम बदलकर धोखाधड़ी कर चोरी से रूपये निकालने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 765/2023 धारा 765 /2023 धारा 420/379 भादवि पंजीकृत कराया गया। कब्जे से विभिन्न बैंको के 28 एटीएम व 20,500 रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. राजेश कुमार पुत्र रामलाल प्रसाद निवासी ग्राम महुआ घाट थाना परनाडाबर जिला नवादा बिहार हालपता चोटपुर कालोनी थाना सेक्टर 63 नोएडा उम्र करीब 27 वर्ष ।

फरार अभियुक्तो का विवरण--

1. मिथलेश कुमार निवासी ग्राम पकरी थाना फतेहपुर जिला गया बिहार ।
2. पंकज सिंह पुत्र सातो सिंह निवासी ग्राम बढगाँव थाना फतेहपुर जिला गया बिहार हाल निवासी गण चोटपुर कालौनी थाना सैक्टर 63 नोएडा।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0स0-707/2023 धारा 420/379 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0-765/2023 धारा 420/379 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. विभिन्न बैंको के 28 एटीएम व 20,500 रूपये

2.थाना नॉलेजपार्क पुलिस द्वारा, फर्जी एसटीएफ बनकर राहगीरों को अपनी गाडी में बैठाकर रंगदारी वसूलने वाले घटना मे वांछित दूसरे अभियुक्त को घटना मे प्रयुक्त स्विफ्ट गाडी मय 01 तमंचा मय 2000 रूपये सहित गिरफ्तार किया गया।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 14.09.2023 को थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा डी-कैथलोन की तरफ से आने वाले सर्विस रोड के कट के पास थाना नालेज पार्क से प्रकाश में आये अभि0 दीपान्शु उर्फ बन्टी उर्फ अंकित कुमार पुत्र अनिल यादव निवासी ग्राम अलियापुर थाना बकेवर जिला इटावा हाल पता म्यू-2 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को एक तमंचा 315 बोर मय रंगदारी के 2000 रूपये व घटना मे प्रयुक्त स्विफट गाडी सहित **गिरफ्तार** किया गया।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना नालेज पार्क पर मु0अ0स0 174/2023 धारा 323/170/506/386/379 भादवि पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में 2 हजार रूपये बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी है तथा तमंचा बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 189/2023 धारा 3/25 ए एक्ट पंजीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभि0 श्यामवीर उर्फ पिन्टू उर्फ अभिषेक उपरोक्त द्वारा अपने साथी दीपांशु उर्फ बन्टी उर्फ अंकित पुत्र अनिल यादव नि0 ग्राम अलियापुर थाना भरथना जिला इटावा हालपता म0नं0 252 काशीराम बिल्डिंग म्यू 2 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर के साथ मिलकर एलजी गोलचक्कर थाना नॉलेजपार्क के पास एक स्विफ्ट कार में एलजी गोलचक्कर के पास घूम रहे 1- अंश पुत्र सुशील निवासी धनोरा थाना ककोड जिला बुलंदशहर हाल पता ग्राम लुक्सर थाना ईकोटेक प्रथम कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर 2-आर्यन पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम लुक्सर थाना ईकोटेक प्रथम जिला गौतमबुद्धनगर को अपनी गाडी मे बैठा लिया और कहा कि हम लोग एसटीएफ से है। छोडने के एवज मे 20 हजार रुपये ले लिये, पूर्व मे ही अभि0 श्यामवीर उर्फ पिन्टू उर्फ अभिषेक पुत्र राकेश सिंह नि0 ग्राम नंगला हीरे थाना भरथना जिला इटावा उ0प्र0 हालपता तेजा गुर्जर का मकान ग्राम तुगलपुर थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्तगण पूर्व मे भी इस प्रकार की कई घटनाएं कर चुके है पेशेवर अपराधी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. दीपान्शु उर्फ बन्टी उर्फ अंकित कुमार पुत्र अनिल यादव निवासी ग्राम अलियापुर थाना बकेवर जिला इटावा हाल पता म्यू-2 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. 174/2023 धारा 323/170/506/386/379/411 भादवि थाना नॉलेजपार्क कमि0-गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 189/2023 धारा 3/25 ए एक्ट थाना नॉलेजपार्क कमि0-गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 595/2022 धारा 364/394/411/419/420/467/468/471 थाना फेस-1 कमि0-गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0स0 602/2022 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फेस-1 कमि0-गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 335/2022 धारा 323/342/384/120 बी भादवि थाना सूरजपुर कमि0-गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 387/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर कमि0-गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0सं0 272/2019 धारा 394/411 भादवि थाना नॉलेजपार्क कमि0-गौतमबुद्धनगर
8. मु0अ0सं0 197/2019 धारा 41 भादवि थाना भरतना जनपद इटावा

बरामदगी का विवरण--

1. 01 तमंचा मय 2000 रूपये

3.थाना दादरी पुलिस द्वारा 03 साल के मासूम बच्चे की हत्या व महिला की हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 14.09.2023 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 03 साल के मासूम बच्चे व महिला की हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्त 01. आशीष तिवारी पुत्र जगदीश तिवारी 02. सौहेल अंसारी पुत्र लियाकत अंसारी को आरवी नार्थ लैण्ड अन्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण--

दिनांक 06.09.2023 को वादिया की तहरीर के आधार पर थाना दादरी पर मु0अ0सं0 480/23 धारा 323/506 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 13.09.2023 को मुकदमा वादिया के बयान व चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 307/364 भादवि की वृद्धि की गयी। थाना दादरी पुलिस द्वारा बीट पुलिसिंग व मैनुअल इटेलिजेन्स के माध्यम से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर दिनांक 14.09.2023 को 02 अभियुक्त 01. आशीष तिवारी पुत्र जगदीश तिवारी 02. सौहेल अंसारी पुत्र लियाकत अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर अभियुक्त आशीष तिवारी उपरोक्त ने बताया कि साहब मैने सरिता से लगभग 05 वर्ष पहले लव मैरिज के रूप में शादी की थी, मै इसको लेकर लगभग 04 वर्ष पूर्व कस्बा दादरी रेलवे रोड 24 फुटा दादरी पर ले आया था । मैं आईसीडी कम्पनी सुरजपुर में काम करने लगा । वहां मेरी दोस्ती सोहेल अंसारी उपरोक्त से हो गयी। तब 01 साल बाद मेरी पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ । मेरी पत्नी मुझ पर बेवजह शक करने लगी मैं इसकी ऊल जलूल हरकतों से तंग आ गया था, तब मैने इससे व अपने बच्चे से पीछा छुडाना ही आखिरी बात सोच कर उपने दोस्त सौहेल अंसारी को अपने साथ मिलाकर दिनांक 03.09.2023 को योजना के तहत शाम करीब 07.30 बजे कोट नहर पुल पर यह कहकर भेज दिया कि मैं अपनी पत्नी व बच्चे को लेकर आ रहा हूँ, इन दोनों को मारकर नहर में फेंकना है। सौहेल अंसारी के नहर पर पहुँच जाने के बाद मै अपनी पत्नी व बच्चें को किराये का मकान दिखाने के बहाने से आटों में बैठाकर कोट नहर पुल पर ले गया । सडक से नीचे उतरकर करीब 200 मीटर पूरब दिशा की तरफ नहर की पटरी पर चलने के बाद हम दोनो ने मेरी पत्नी को काबू कर लिया तो और उसके गले में अपनी बेल्ट का फंदा बनाकर उसका गला दबा दिया जिससे वो बेहोश हो गयी । हमने उसे मरा समझकर कोट नहर मे फेक दिया था तथा उससे कुछ दूर चलकर हमने मेरे पुत्र सत्या उम्र 03 वर्ष को गला दबाकर मारने के बाद उसे कोट नहर में फेंक दिया । इसके बाद मै अपना मोबाइल स्विच आफ कर भाग गया था । मेरा दोस्त सौहेल अंसारी भी मौके से भाग गया था । हमे नही पता था कि मेरी पत्नी बच गयी है । अभि0गण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त बेल्ट को कोट नहर के पास से बरामद किया गया । थाना दादरी पुलिस द्वारा एनडीआरएफ टीम के साथ मिलकर कोट नहर से बच्चे के शव की बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

01. आशीष तिवारी पुत्र जगदीश तिवारी निवासी ग्राम बजटा थाना जिगना जिला मिर्जापुर उ0प्र0 हाल पता 24 फुटा रोड शिव मन्दिर के पास तुलसी विहार कालोनी थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर उम्र 24 वर्ष ।
02. सौहेल अंसारी पुत्र लियाकत अंसारी निवासी ग्राम लीलाधर गिरी की मठिया थाना माझी जिला सारण बिहार हाल पता आईसीडी कन्टेनर डिपो तिलपता थाना सूरजपुर गौ0बुद्धनगर उम्र करीब 19 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1.मु0अ0सं0 480/23 धारा 323/506/307/364 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1.घटना मे प्रयुक्त 01 बैल्ट